

¹[प्ररूप संख्या 10 झङक

[नियम 21 कछक देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग की उप-धारा (6) के खंड (झ) के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए आवेदन या धारा 115खकग की उप-धारा (6) के उपबंध के अधीन विकल्प की वापसी

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

.....

.....

1. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **21.6.2023** से अन्तःस्थापित।

क्र.सं.		
1	नाम	
2	पैन	
3	धारा 115 खकग की उप धारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की स्थिति	
4	निर्धारण वर्ष जिसके लिए प्ररूप प्रस्तुत किया जा रहा है	वर्ष -वर्ष
5	धारा 115 खकग की उप-धारा (1क) के अधीन प्रदान की गई व्यवस्था से बाहर निकलना या फिर से प्रवेश करना	बाहर निकलना/फिर से प्रवेश करना
6	यदि 5 में इनपुट के अनुसार पुनः प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले प्रयोग किए गए विकल्प का विवरण प्रदान करें।	कार्य करने की तारीख प्ररूप संख्या 10झडक में धारा 115ख ग की उप-धारा (6) के खंड (i) के अधीन बाहर निकलने का विकल्प
		पहला निर्धारण वर्ष जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया था।
		डीडीवर्ष/महीना/.....20
7	क्या अंतर्राष्ट्रीय में कोई इकाई है: वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), जैसा कि धारा 80ठक की उप-धारा (1क) में निर्दिष्ट है (यदि पंक्ति 5 के अनुसार फिर से प्रवेश कर रहा है)	हां/नहीं/
8	यदि हाँ तो 7 में, आईएफएससी में इकाइयों के बारे में विवरण प्रदान करें: (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभ की संख्या जोड़ें)	इकाई 1
		इकाई 2
		इकाई 3
		(1) (2) (3) (4)
		इकाई का नाम
		इकाई का पता
		संचालित इकाई की प्रकृति क्रियाकलाप

उपक्रम

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(पूरा नाम और स्पष्ट अक्षरों में) जिनके पास पैन है..... व्यक्ति के मामले में) घोषणा करते हैं कि सर्वोत्तम मेरी जानकारी और विश्वास है कि उपरोक्त प्ररूप में जो कथन किया गया है वह सही और पूर्ण है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं अपनी हैसियत से..... (पदनाम) ऐसा कथन कर रहा हूं और मैं यह घोषणा करने और यह प्ररूप भरने के लिए सक्षम हूं।

मैं, यह और घोषणा करता हूं कि क्रम सं. 2 पर वर्णित पैन धारण करने वाले. क्रम सं. 1 विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय, क्रम संख्या 4 में विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के दौरान "कारबार या वृत्ति से लाभ और प्राप्ति" शीर्ष के अधीन है।

मैं, अधिनियम की धारा 115खकग की उप-धारा (1क) को पुनः प्रवेश करने की घोषणा भी करता हूं. जो क्रम सं. 2 पर वर्णित पैन धारण करने वाले क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट व्यक्ति धारा 115खकग की उप-धारा (1क) से बाहर निकलने के विकल्प के लिए अपात्र होगा।

स्थान :

तारीख:

आपका,
हस्ताक्षर.....*

नाम.....

पद का नाम..

पता.....

*अधिनियम की धारा 140 के उपबंध के अनुसार धारा 2 के खंड (31) के खंड (vii) अनुसार व्यक्ति/एचयूएफ/व्यक्तियों के संघ (एक सहकारी समिति के अलावा अन्य)/व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं/ उप-खंड में निर्दिष्ट एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर।

टिप्पण : व्यक्ति की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

क्रसं.		कोड
(i)	व्यक्ति	1
(ii)	हिंदू अविभाजित कुटुंब (एचयूएफ)	2
(iii)	व्यक्तियों का संघ (एक सहकारी समिति के अलावा)	3
(iv)	व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं	4
(v)	अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	5]